भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH GN 259056

(प्रारूप - ग)

NOTARY H.N Chaturvedi Advocate Varanasi Regd No. GOVT OF

शपथपत्र

हम साधना पाण्डेय (नाम अध्यक्ष) एवं सुनील कुमार पाण्डेय (नाम सचिव/कोषाध्यक्ष) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव विद्यावती महिला महाविद्यालय पता:- मनियारेपुर, चन्दवक, जौनपुर उ0प्र0 शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है :-

01. यह कि हमारी ट्रस्ट द्वारा (संस्था का नाम एवं पता) विद्यावती फार्मेसी कालेज मनियारेपुर चन्दवक जौनपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

02. यह कि हमारी ट्रस्ट के नाम (पता जहां पर भूमि स्थित है) मनियारेपुर चन्दवक जौनपुर में गाटा संख्या 64,66,34,40, एवं 42,27 रकबा क्रमशः 558.5,209.33 एवं 0.052 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.819 हेक्टेयर) भूमि है।

साधना पाण्डेय

03.यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

04.यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 64,66,34,40,42, एवं 27 रकबा क्रमशः 558.5 209.33 एवं 0.052 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.819 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 12.01.2022 द्वारा पारित किया गया है।

05.यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

NOTARY
H.N Chatuvedi
Advocate
Varanasi
Regd No. 9412
GOVT OF INDIA

06.यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

07.यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

Sd. R.K. Singh

Sd. R.K. Singh

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कक्षा कक्ष, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/हस्ताक्षर फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

NOTARY
H.N Chaturvedi
Advocate
Varanasi
Regd No.-94..
GOVT. OF INDIA

R.K.Singh

ह0 सचिव /

ह0 अध्यक्ष

Solemnly affirmed before me ... deponent identified by R.K. Singh Adv ... the contents of the affidavit ... to deponent who verified matter ...

H. N. Chaturvedi
NOTARY-Govt. of India
(Regd. No. 9412), Varanasi
29.08.23